खण्ड ....मुण्डावर, जिला अलवर

..........................किस्म प्रार्थना पत्र 212 मुकदमा नं० 52/19 दिनांक.........................

नी..........शान्तनु कुमार वि/s मुकेश कुमार

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर एवं तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20/12/19 आज यह पत्रावली पेश हुई। कारसंधं मुकदमे में आज कार्य निर्णय किये जाने बाबत पेश किया। क्योंकि वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थी उभय पक्ष उपस्थित आए एवं प्रार्थना पत्र की बहस दरम्यान सुने जाने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में वकील उभय पक्षकारान की बहस द० सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का सारत: रहा कि विवादित आराजी खसरा नं० 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1508, 1510, 1511, 1512 वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के खातेदार प्रार्थीगण की दादालाई एवं पैतृक आराजी है व अपने हिस्से आराजी पर काश्त करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण आपस में लेनदेन होकर आराजी को बिना आवश्यकता के नीलाम करना व रहन बय करना चाहते हैं जबकि प्रार्थीगण का कोई बर्ताव है व अधिकार समाप्त नहीं हुआ है इस लिए अपने आप को कानूनन खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने इन नापाक इरादों में सफल हो गये तो फिर प्रार्थीगण को नाभरपाई होने वाली क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के हक में है का निवेदन करते हुए अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर को कहीं रहन बय आदि से मुन्तकिल ना करे ना ही आराजी को खुर्द-बुर्द करने का आराजी पर किसी प्रकार का प्लांट लगाये ना ही विद्युत कनेक्शन अपने से जारी करावे तथा फिर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत पैदा करे के आदेश दिये जाने का निवेदन रहा एवं ठीक इसी प्रकार अप्रार्थी नं० 3 ने प्रार्थना पत्र के विरुद्ध आपत्ति करते हुए निवेदन रहा कि वादी/प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में कोई अमल नहीं है इसलिए वादीगण रिकार्ड खातेदारों के खिलाफ वाद दायर करने के सक्षम नहीं है एवं वादीगण का पिता प्रतिवादी नं० 1 जीवित है इसलिए राज० काश्त० अधिनियम की धारा 39 के तहत वादीगण का पिता के जीवित रहते हुए कोई वादभूमि के अधिकारी नहीं है व ना ही वादीगण कानूनन अपने आप को शामलाती व काबिज आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि वादीगण व प्रतिवादी नं० 1 व 2 ने प्रतिवादी नं० 3 को विद्युत कनेक्शन नहीं लगाने देने के कारण दावा दायर किया है। पूर्व में प्रतिवादी नं० 1 ने प्रतिवादी नं० 3 के खिलाफ विवादित आराजी में विद्युत कनेक्शन

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

......मुकदमा नं०......

...लय उपखण्ड ...... किस्म ......

अन्तर्गत......

...ान पत्रावली......

...रीख

...म

	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर एवं तारीख हुक्म की तामील

नहीं देने के लिए अदालत श्रीमान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मुण्डावर के यहां कार्यवाही विचाराधीन का वाद दायर किया था उक्त प्रार्थना-पत्र को माननीय न्यायालय ने दिनांक 23-04-2019 को खारिज कर दिया जिसकी प्रति संलग्न पेश है अंकित करते हुए वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में अभी कोई इन्द्राज नहीं है, आराजी प्रतिवादी नं0 1 व 2 एवं प्रतिवादी नं0 3 की शामलाती अवाट आराजी है। वादीगण के आराजी में से कितने हिस्से में अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है प्रार्थना-पत्र में इन्द्राज नहीं किया इसलिए वादीगण का सुविधा का सन्तुलन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है एवं जवाब में अंकित किया है कि विवादित आराजी शामलाती अवाट है जिसमें प्रतिवादी नं0 1 व 2 के 1/2 हिस्से व प्रतिवादी नं0 3 दुर्गाप्रसाद का 1/2 हिस्सा है व वाद के लम्बित दिनांक 29-1-19 के इसी विवादित आराजी में विद्युत विभाग से कृषि कनेक्शन ले लिया। इसलिए सुविधा का सन्तुलन कायम रखने व न्याय व अनुतोष प्रदान करते हुए प्रतिवादी नं0 3 को भी विद्युत कनेक्शन प्रदान करना न्यायोचित व न्याय संगत है आदि-आदि अंकित करते हुए प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

वकील उभय पक्षकारान की प्रार्थना-पत्र के बाबत बहस सुन ली गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के कथनों को दोहराते हुए पूर्व में जारी अस्थायी आदेश को मूल दावे के निर्णय तक सम्पुष्ट किये जाने का कथन किया। ठीक इसी प्रकार वकील अप्रार्थी नं0 3 ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना-पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को खारिज किये जाने का अभिकथन किया साथ ही न्याय निर्णय 2015 (1) DNJ पेज 44 राजस्थान अनुसार उक्त माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय अनुसार कृषि कनेक्शन देने से वादी/प्रार्थी के हित प्रभावित नहीं होने का भी अभिकथन किया।

वकील उभय पक्षकारान की प्रार्थना-पत्र

उपखण्ड ... मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

के बाबत बहस दा० इन्साफपूर्वक सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली के प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। इस प्रकार से प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया का बिन्दु को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है और जब प्रथम दृष्टया का बिन्दु वादी प्रार्थीगण साबित पाये जाने की स्थिति में सुविधा का सन्तुलन वाला बिन्दु भी वादी प्रार्थीगण साबित है। अब सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण दोनों बिन्दु वादी प्रार्थीगण की स्थिति के अपूर्णीय होने वाले बिन्दु को भी यह न्यायालय बखिलाफ अप्रार्थी तथा वादी प्रार्थीगण साबित पाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को विद्युत कनेक्शन किये जाने को निलम्बन रखते हुए मूल दावे के निर्णय तक स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। कम्प्यूटर में कमी हो। आदेश आज दिनांक खुला रहा है। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Yadav
Date: 2020.01.03 16:44:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: